कार्यालय

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्याः– 1489/6–अधि0–स्टा0पै0/2017, दिनांकः 06 जून ,2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्याः–90/30(2)/2016–30(51)15, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न संबंधी व्यवस्था को संशोधित किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में राजस्व परिषद् के पत्र संख्याः–4284/6–147/(2)स्टा0पै–रा0प0–016, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए। प्राप्त प्रस्तावों का परिषद् स्तर पर मिलान करने पर कतिपय जनपदों के स्वीकृत पदों के संबंध में पाई गई भिन्नता के संबंध में राजस्व परिषद् के पत्र संख्याः–673/6–अधि0स्टा0पै–रा0प0/2017, दिनांक 02 मई, 2017 के द्वारा मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को मण्डल/जनपद में स्वीकृत पदों का मिलान कराते हुए दिनांक 15–05–2017 तक संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा इस अनुरोध के साथ की गई कि यदि निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो परिषद् द्वारा सूचित पदों की स्थिति के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था लागू किए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी। राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 02 मई 2017 के कम में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, चम्पावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं उधमसिंहनगर द्वारा ही पदों का मिलान कर सूचना उपलब्ध करायी गई है।

अतः मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना/प्रस्ताव के आधार पर एवं नव सृजित तहसील/उप तहसील कार्यालयों के नव सृजित पद, जो मण्डलीय एवं जिला कार्यालयों में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के लिए राजस्व परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–5601/6–147/रा0प0–2015–16, दिनांक 23 जनवरी, 2016 एवं उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन से संबंधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः–679/6–147/रा0प0–015, दिनांक 06–05–2016 द्वारा लागू स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार पदों का वर्गीकरण करते हुए संशोधित स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था लागू की जाती हैः–

(क) मण्डल कार्यालयः–

क0 सं0	मण्डल कार्यालय का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक 5200–20200, ग्रेड वेतन–2000 (32%)	वरिष्ठ सहायक 5200–20200, ग्रेड वेतन–2800 (28%)	प्रधान सहायक 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (18%)	प्रशासनिक अधिकारी 9300–34800, ग्रेड वेतन–4600 (8%)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 9300–34800, ग्रेड वेतन–4800 (8%)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 15600–39100, ग्रेड वेतन–5400 (6%)
1	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौढ़ी	14	04	04	03	01	01	01
2	आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल	15	05	04	03	01	01	01
	योगः–	29	09	08	06	02	02	02

(ख) जिला कार्यालय (कलेक्टरी अधिष्ठान)

क0 सं0	जनपद का नाम	पदों की कुल संख्या	कनिष्ठ सहायक 5200–20200, ग्रेड वेतन–2000 (32%)	वरिष्ठ सहायक 5200–20200, ग्रेड वेतन–2800/ग्रेड वेतन–2400 (28%)	प्रधान सहायक 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (18%)	प्रशासनिक अधिकारी 9300–34800, ग्रेड वेतन–4600 (8%)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 9300–34800, ग्रेड वेतन–4800 (8%)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 15600–39100, ग्रेड वेतन–5400 (6%)
1	पौढ़ी गढ़वाल	118	38	33	21	10	09	07
2	उत्तरकाशी	67	21	19	12	06	05	04
3	टिहरी	104	33	29	19	09	08	06

4	हरिद्वार	84	27	24	15	07	06	05
5	देहरादून	114	36	32	21	09	09	07
6	रूद्रप्रयाग	39	13	11	07	03	03	02
7	चमोली	89	29	25	16	07	07	05
8	अल्मोड़ा	144	46	40	26	12	12	08
9	नैनीताल	117	38	33	21	09	09	07
10	पिथौरागढ़	96	3[illegible]	27	17	08	07	06
11	चम्पावत	51	16	15	09	04	04	03
12	बागेश्वर	60	19	17	11	05	05	03
13	उधमसिंहनगर	103	33	29	19	08	08	06
	योगः–	1186	380	334	214	97	92	69

स्टाफिंग पैटर्न की उक्त संशोधित व्यवस्था लागू होने से, यदि पुनर्गठित पदों की संख्या से अधिक कार्मिक कार्यरत हों तो उन्हें अधिसंख्यक पद के सापेक्ष मानते हुए ऐसे पदधारकों द्वारा पदोन्नति/सेवा निवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किए जाने पर, ऐसे पदों को भरा नहीं जायेगा तथा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित पदों का स्थिरीकरण हो जायेगा।

वरिष्ठ सहायक (28%) के पदों में ग्रेड वेतन–2800 के पद एवं नव सृजित तहसीलों/ उप तहसीलों के ग्रेड वेतन–2400 में स्वीकृत लिपिकीय पद भी समाहित हैं।

अतः संबंधित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उपरोक्त संशोधित स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्थानुसार मण्डलीय, जनपद, उप मण्डल (परगना), तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों के लिए पदों का विभाजन/पद स्थापना करते हुए कृत कार्यवाही से परिषद् को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–
एस. रामास्वामी
अध्यक्ष

संख्याः एवं तद्‌दिनांक्।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग (अनुभाग–2), देहरादून।
2– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग (अनुभाग–1), देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
06.06.2017
आयुक्त एवं सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या: 90 /XXX(2)/2016-30(51)15
देहरादून: दिनांक: 26 जुलाई, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न सम्बन्ध कार्यालय–ज्ञाप संख्या 355 / XXX(2)/15-30(51)2015 दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में संशोधन कर हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् संशोधित स्टाफिंग पैट लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1	कनिष्ठ सहायक	32%	32%
2	वरिष्ठ सहायक	28%	28%
3	प्रधान सहायक	18%	18%
4	प्रशासनिक अधिकारी	10%	8%
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	10%	8%
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	2%	6%

2. जिन कार्यालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पूर्व से सृजित हैं, को संशोधि स्टाफिंग पैटर्न में समायोजित किया जायेगा।

3. कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के सम्बन्ध उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठ तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXX(2)/2016-30(51)15 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।